

बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
तुतीय तल, सोन भवन
वीरचन्द पटेल पथ, पटना-1

सोलर पम्प के लिये आवेदन प्रपत्र

मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना
अन्तर्गत

“सौर पम्प योजना”

लाभार्थी का
अद्यतन पासपोर्ट
साईज का फोटो

1. लाभार्थी का नाम:—.....
2. पिता/पति का नाम:—.....
3. पूरा पता ग्राम.....
पंचायत..... पो0.....
प्रखण्ड..... जिला.....
4. कुल जोत एकड़ में.....
5. सोलर पम्प सिंचाई हेतु कमांड क्षेत्र.....
मौजा..... खाता..... खेसरा..... रकवा (एकड़ में)
6. पानी का स्रोत:.....
(क) कुँआ..... कुआँ का व्यास..... मी0
(ख) बोरिंग..... बोरिंग का व्यास..... मी0
(ग) तालाब/नदी/झरना.....
(घ) जल स्तर: गर्मी में..... मी0 वर्षा में..... मी0
7. सिंचाई के अन्य उपलब्ध साधन.....
8. मिट्टी का प्रकार.....
9. सोलर पम्प प्राप्त करने का प्रयोजन सिंचाई एवं कृषि कार्य
10. पक्की सड़क मार्ग से साईट की दूरी.....
.....
11. क्या पूर्व में भी सोलर पम्प प्राप्त करने हेतु
आपके द्वारा आवेदन दिया गया है या
सोलर पम्प प्राप्त किया गया है।
12. क्या आपने सोलर पम्प किसी अन्य स्थान पर कार्यरत देखा है यदि हाँ तो इस संबंध में आपकी
प्रतिक्रिया.....

13. क्या ब्रेडा द्वारा निर्धारित लाभार्थी

अंशदान वहन करने को तैयार है?.....

नोट:— अंशदान की राशि घट—बढ़ सकती है।

14. (क) मैं.....सोलर पम्प प्राप्त करने

लाभार्थी के रूप में राशि निर्धारित समय के अन्तर्गत जमा करने को तैयार हूँ अन्यथा आवेदन निरस्त करना मान्य होगा तथा मैं सोलर पम्प के अधिष्ठापन के बाद इसके रख—रखाव, पूर्णतया सुरक्षा, देखभाल की पूरी जिम्मेवारी लूँगा। पाँच वर्ष की वारन्टी अवधि के बाद इसमें उत्पन्न दोष को अपने खर्च पर दूर कर कार्यशील कराने की जवाबदेही पूर्णतया मेरी होगी। इस सोलर पम्प को बिना ब्रेडा की पुर्वानुमति किसी दूसरे लाभार्थी को हस्तान्तरित नहीं करूँगा।

(ख) मैं इस योजना के अन्तर्गत ब्रेडा/चयनित आपूर्तिकर्ता के साथ पाँच वर्ष का विहित प्रपत्र में अनुबंध हस्ताक्षर करने को इच्छुक हूँ।

(ग) मैं इस सोलर पम्प को कार्यरत रहने के संबंध में समय—समय पर ब्रेडा/जिला प्रशासन को जानकारी देता रहूँगा।

(घ) सोलर पम्प ब्रेडा के चयनित एजेन्सी द्वारा तकनीकी रूप में चयनित साईट पर ही स्थापित किया जायेगा। आवेदन मात्र देने से ही सोलर पम्प स्थापित करने का किसी प्रकार का दावा मैं नहीं करूँगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और यह मुझे मान्य होगा।

(च) प्रस्तावित सोलर पम्प साईट के चारों तरफ कोई पेड़, मकान आदि का छाया का अवरोध नहीं है।

(छ) आवेदन प्रपत्र में अंकित सभी सूचनाएँ सही है। कोई सूचना गलत पाये जाने पर जिम्मेवारी मेरी होगी।

आवेदक का नाम एवं पूरा हस्ताक्षर

दिनांक :-

पता:-

सोलर पम्प साईट निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी /तकनीशियन का जाँच प्रतिवेदन।

स्वीकृत/अस्वीकृत
जिला पदाधिकारी

ब्रेडा के तकनीशियन
का हस्ताक्षर

प्रखंड कृषि पदाधिकारी
का हस्ताक्षर

शपथ-पत्र का प्रारूप

1. मैं.....पिता.....
ग्राम.....पो0.....प्रखण्ड.....
थाना.....जिला.....का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरे द्वारा अपनी भूमि मौजाखाता.....
खेसरारकवा.....पर एक अदद 1800 वाट, 2
एच0पी0/3000 वाट 3 एच0पी0 क्षमता का सोलर पम्प अधिष्ठापन हेतु आवेदन देना है, जिसके
लिए इस शपथ-पत्र की आवश्यकता है।
3. यदि मेरा आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं अपने अंशदान की राशि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि
तक विनिर्दिष्ट कार्यालय में जमा करूँगा।
4. मैं अपने भू-खण्ड पर अधिष्ठापित सोलर पम्प को किसी दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरित/बिक्री
नहीं करूँगा।
5. सोलर पम्प अधिष्ठापित करने वाली एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष के वार्षिक रख-रखाव के उपरान्त मेरे द्वारा
अपने व्यय पर इसका रख-रखाव किया जायेगा।
6. अधिष्ठापित सोलर पम्प की देखभाल एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।
7. अधिष्ठापित सोलर पम्प का उपयोग कृषि कार्य एवं सिंचाई के लिए किया जायेगा।
8. अधिष्ठापित सोलर पम्प का सम्पूर्ण स्वामित्व पाँच वर्ष के उपरान्त ही मेरा होगा।
9. उपरोक्त किसी भी विन्दु पर दोषी पाये जाने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती
है।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

अनुबंध
(100/- रु. स्टाम्प पेपर)

1. मैं..... पिता..... ग्राम.....
पो0.....प्रखण्ड.....थाना.....
जिला का स्थायी निवासी हूँ।
2. मेरे मौजाखाता..... खेसरा..... रकवा.....
पर मे0.....द्वारा एक अद्द 1800 वाट, 2
एच0पी0/ 3000 वाट 3 एच0पी0 क्षमता का सोलर पम्प अधिष्ठापित दिनांक.....
..... किया गया है।
3. मेरे भू-खण्ड पर अधिष्ठापित सोलर पम्प की कुल लागत रु0.....
..... है, जिसमे रु0..... नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली रु0..... राज्य योजना के माध्यम से ब्रेडा द्वारा एवं मेरा
अंशदान इतना रु0..... है। जिसे मेरे द्वारा चेक/डाफ्ट/संख्या.....
दिनांक..... बैंक का नाम..... द्वारा जिलाधिकारी.....
..... के यहाँ जमा कर दिया गया है।
4. मैं अपने भू-खण्ड पर अधिष्ठापित सोलर पम्प को स्थानान्तरित नहीं करूँगा। साथ ही किसी दूसरे
व्यक्ति को स्थानान्तरण/बिक्री नहीं करूँगा।
5. सोलर पम्प अधिष्ठापित करने वाली एजेन्सी द्वारा 5 वर्ष के वार्षिक रख-रखाव के उपरान्त मेरे द्वारा
अपने व्यय पर इसका रख-रखाव किया जायेगा।
6. अधिष्ठापित सोलर पम्प की देखभाल एवं सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी होगी।
7. अधिष्ठापित सोलर पम्प का उपयोग कृषि कार्य एवं सिंचाई के लिए किया जायेगा।
8. अधिष्ठापित सोलर पम्प का सम्पूर्ण स्वामित्व पाँच वर्ष के उपरान्त ही मेरा होगा।
9. उपरोक्त किसी भी बिन्दु पर दोषी पाये जाने पर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती
है।

प्रथम पक्ष लाभार्थी का

द्वितीय पक्ष एजेन्सी का

हस्ताक्षर पता के साथ

हस्ताक्षर एवं पूर्ण विवरण के साथ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

दो गवाह (पूर्ण पता के साथ)

1.....

2.....